Registered
Email

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

आदेश

श्री जनार्दन राम, तत्कालीन प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण कार्यालय, गोपालगंज के विरूद्ध कार्यालय से अनुपस्थित रहने, आदेश की अवहेलना, वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनु0 जाति/पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि का वितरण ससमय नहीं करने, प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति एवं भुगतान हेतु इजीकार्ड स्टेट बैंक में ससमय नहीं भेजने एवं अग्रिम छात्रवृत्ति वितरण हेतु 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये की ली गयी अग्रिम राशि का अभिश्रव कार्यालय को समर्पित नहीं करने के आरोप में जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–648 दिनांक–27.06.11 द्वारा गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय पत्रांक–1775 दिनांक–11.07.2011 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं उन्हें तीन बार स्मारित भी किया गया लेकिन श्री राम द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। तदोपरांत विभागीय पत्रांक–1217 दिनांक–07.06.12 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद से श्री राम के विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' की मूल प्रति की मांग की गयी। जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–864 दिनांक–29.06.12 द्वारा प्रपत्र 'क' की मूल प्रति उपलब्ध कराया गया।

2. प्रपत्र 'क' में वर्णित आरोप के आलोक में श्री जनार्दन राम के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अधीन जॉच हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक–1923 दिनांक–01.10.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया, जिसके संचालन हेतु उप निदेशक कल्याण, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद को उपस्थापन पदाधिकारी घोषित किया गया।

3. उप निदेशक कल्याण–सह–संचालन पदाधिकारी मगध प्रमंडल, गया ने अपने पत्रांक–619 दिनांक–04.07.15 के माध्यम से अधिगम उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा बचाव प्रतिवेदन समर्पित नही करने, उपस्थापन पदाधिकारी का

मंतव्य अंकित नहीं रहने तथा संचालन पदाधिकारी का स्पष्ट मंतव्य उपलब्ध नहीं रहने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी को जॉच प्रतिवेदन वापस करने का निर्णय लिया गया। विभागीय पत्रांक–2376 दिनांक–01.09.2016 द्वारा संचालन पदाधिकारी को जॉच प्रतिवेदन वापस करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेते हुए प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों के आलोक में कंडिकावार मंतव्य के साथ संशोधित जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। उप निदेशक कल्याण–सह –संचालन पदाधिकारी मगध प्रमंडल, गया ने अपने पत्रांक–1096 दिनांक–15.11.16 के माध्यम से संशोधित अधिगम उपलब्ध कराया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अपना कोई बचाव प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के कारण संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित माना गया। जॉच प्रतिवेदन में अंकित संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में श्री जनार्दन राम से विभागीय पत्रांक–20 दिनांक–02.01.17 एवं अंतिम स्मार पत्रांक–993 दिनांक–25.04.17 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा का तामिला नहीं होने के कारण दिनांक–23.09.2017 को दैनिक समाचार पत्र में तामिला के संबंध में प्रेस–विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, किन्तु इसके बावजूद भी आरोपी पद़ाधिकारी के द्वारा विभाग में अपना द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया। आरोपी पदाधिकारी के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित नहीं करने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा माना गया कि उनपर लगाये गये सभी आरोप उन्हें स्वीकार है और इस संबंध में उन्हें कुछ भी नहीं कहना है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के अधिगम में प्रमाणित आरोपों की सम्यक समीक्षोपरांत विभाग द्वारा एकतरफा निर्णय लेते हुए श्री जनार्दन राम, तत्कालीन प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण कार्यालय, गोपालगंज को कार्यालय से अनुपस्थित रहने, आदेश की अवहेलना, वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनु0 जाति/पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि का वितरण ससमय नहीं करने, प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति एवं भुगतान हेतु इजीकार्ड स्टेट बैंक में ससमय नहीं भेजने एवं अग्रिम छात्रवृत्ति वितरण हेतु 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये की ली गयी अग्रिम राशि का अभिश्रव कार्यालय को समर्पित नहीं

करने के आरोप के लिए दोषी पाया गया। फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(1) एवं 14(VI) में निहित प्रावधानो के अधीन निन्दन एवं संचयात्मक प्रभाव से दो (02) वेतन वृद्धियॉ अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित करते हुए विभागीय आदेश सं0–1923 दिनांक–01.10.2012 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

5. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

27/11/17

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–3/क0निग0–40–22/11– 2968 पटना, दिनांक– 28/11/17

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1– संचालन पदाधिकारी–सह–उप निदेशक कल्याण उप निदेशक कल्याण, मगध प्रमंडल, गया।

2– उपस्थापन पदाधिकारी–सह– जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद

3–जिला पदाधिकारी, गोपालगंज।

4–जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज।

5–जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज।

6–जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद।

7–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

8–विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

9–श्री जनार्दन राम, तत्कालीन प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण कार्यालय, गोपालगंज।

27/11/17

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–3/क0निग0–40–22/11– 2968 **पटना, दिनांक**– 28/11/17

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/11/17

विशेष कार्य पदाधिकारी।